निर्णय न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड़ अधिकारी, रावतभाटा
पीठासीन अधिकारी – महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण सं. –61 / 2021

भागू पिता श्री नारायण गुर्जर जाति गुर्जर आयु 45 वर्ष निवासी मालखेडा तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़।
................प्रार्थी

बनाम

1. खाना पिता गंगाराम गुर्जर जाति गुर्जर आयु 65 वर्ष निवासी मालखेडा तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़।
2. जरिये भूमिधारी तहसीलदार रावतभाटा।
.................अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

अधिवक्ता प्रार्थी:– श्री अर्जुन सिंह चुण्डावत।
अप्रार्थी:– 01 एकतरफा कार्यवाही, 02 पेरोकार सरकार।

निर्णय दिनांक – 12.07.2024

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा ग्राम मालखेडा प0ह0 बलकुण्डीकलां भू.अ.निरीक्षक क्षेत्र जावदा तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ की जमाबंदी सम्वत 2076–79 की खाता संख्या 02 खसरा संख्या 77, 78, 81, 87, 88 कुल किता 05 कुल रकबा 1.00है0 लगान 25.34 रूपये मुझ प्रार्थी एवं सहखातेदारान के नाम खाते दर्ज रिकार्ड चली आ रही है, जिस पर में प्रार्थी एवं सहखातेदारान काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। उक्त कृषि आराजी संख्या 77, 78 रकबा 0.21है0 कृषि भूमि पर कदीमी समय से आने जाने के लिए एक आम रास्ता विपक्षी संख्या 01 के खसरा संख्या 79 / 290 रकबा 0.20है0 से होकर बना हुआ था, जो कायम रास्ता आराजी संख्या 84 व 86 पर जाकर मिलता है, लेकिन उक्त रास्ता विपक्षी संख्या 01 ने कांटों की बाड कर बंद कर दिया है, जिसके कारण प्रार्थी व सहखातेदार अपने खातेदारी काश्त की आराजी पर आ जा नहीं पा रहे है,उक्त आराजी पर आने जाने का एकमात्र रास्ता यही है तथा उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में तरमीम नहीं हैख उक्त रास्ता जो आराजी संख्या 79 / 290 की मेड से लगता हुआ आराजी संख्या 83 जो गे.मु.चा. से आता है, जो प्रार्थी व सहखातेदारान के दर्ज रिकार्ड है, जिसे राजस्व रिकार्ड में रास्ता कायम कराने हेतु यह प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश किया है। उक्त वर्णित कृषि आराजी संख्या 77 व 78 पर आने जाने के लिए बने उक्त आम रास्ता राजस्व रिकार्ड में कायम नहीं है तथा अन्य पड़ौसी विपक्षीगण संख्या 01 में आने जाने के लिये परेशान करते है, इसलिए आराजी संख्या 79 / 290 से प्रार्थी रास्ता कायम कराना चाहता है, इसलिए मुझ प्रार्थी व सहखातेदारान के कृषि आराजीयात पर आने जाने के लिए आराजी संख्या 79 / 290 में रास्ता कायम किया जावे तथा नक्शे में भी तरमीम कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाए, इसके लिए प्रार्थी नियमानुसार शुल्क जमा कराने के लिए तैयार है। अन्त में राजस्व रिकार्ड में आराजी संख्या 77 व 78 में प्रार्थीगण की कृषि आराजी पर आने जाने के लिए आराजी सख्या 79 / 290 में रास्ता कायम किये जाने के आदेश प्रदान किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को तलब किया गया, विपक्षीगण संख्या 01 न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से अप्रार्थी संख्या 01 के [illegible] दिनांक 15.03.2022 को एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित हुए। [illegible] 2024 को जवाब व मौका रिपोर्ट प्रस्तुत [illegible] ग्राम मालखेडा प0ह0 बलकुण्डीकलां के खसरा संख्या 77, 78, 81, 87, 88 कुल किता 05 रकबा 1.00है0 भूमि अमरलाल, भगवानलाल, चैनराम, भागूलाल, बरदीचन्द, ठमाबाई, [illegible]रीबाई पिता नारायण एवं सरजुबाई पत्नि नारायण गुर्जर के नाम सा. देह खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक राजस्व रिकार्ड अनुसार आराजी संख्या 77 व 78 पर पहुंचने के लिए रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है। अतः उक्त आराजी पर पहुंचने लिए रास्ते की आवश्यकता है। प्रार्थी द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2024.07.30 14:00:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

ग्राम मालखेडा की आराजी संख्या 79/290 रकबा 0.20है0 भूमि जो कि काना पिता गंगाराम गुर्जर के नाम दर्ज रिकाड है। जिसमें से दक्षिणी मेड से रास्ता चाहा गया है जो कि सबसे कम दूरी पर है।ग्राम मालखेडा की आराजी संख्या 84 रकबा 0.05 है0 गै0मु0 रास्ता एवं आराजी संख्या 86 गै0मु0 रास्ता खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। जो खातेदारी में दर्ज रिकार्ड रास्ता मौके पर चालू होकर आराजी संख्या 83 रकबा 0.03है0 गै0मु0आ0चा0 प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी आ.चा. तक जाता है। वादीगण के आराजी तक पहुंचने के लिए न्यूनतम दूरी का और कोई रास्ता नहीं है। आराजी संख्या 79/290 में लम्बाई 52 मीटर व चौडाई 5 मीटर के आधार पर 52 X5=260 वर्गमीटर भूमि रास्ते के रूप में उपयोग में आयेगी। प्रस्तावित भूमि की प्रचलन डीएलसी दर 306487 रू प्रति हैक्टयेर अथवा 30.64 रू प्रति वर्गमीटर है। प्रार्थी के रास्ते में आने वाली कुल भूमि 260 वर्गमीटर है। प्रचलन डीएलसी दर के हिसाब से 260 X30.64=7966 रूपये बनती है। जिसका दोगुना राशि 7966 X2=15932 रूपये बनती है।

हमने प्रार्थी पक्ष को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में निवेदन किया गया है कि उनकी आराजीयात में आने जाने का कोई रास्ता नहीं होने से उसे कृषि कार्य हेतु आने जाने में असुविधा होती है तथा वे वर्तमान में विपक्षी की आराजी संख्या 79/290 की दक्षिणी मेड के सहारे सहारे रास्ता चाहा गया। इसके लिए वह नियमानुसार राशि विपक्षी खातेदार को देने को तैयार है।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी पक्ष की बहस सुनी। प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों व दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के पास उसके खातेदारी की भूमि में आने जाने हेतु कम दूरी का अन्य कोई मार्ग/विकल्प नहीं होने से उसके द्वारा सुखाधिकार के तहत भूमि पर आने जाने हेतु रास्ता चाहा गया है। जिससे उक्त तथ्यों को देखते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

–:आदेशः–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा–251 (ए) बाबत ग्राम मालखेडा प0ह0 बलकुण्डीकलां तहसील रावतभाटा जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी सम्वत 2076–79 की खाता संख्या 02 खसरा संख्या 77, 78, 81, 87, 88 कुल किता 05 कुल रकबा 1.00है0 में आने जाने हेतु विपक्षी संख्या 01 की आराजी संख्या 79/290 में से जो न्यूनतम दूरी का मार्ग होने से तहसीलदार रावतभाटा की रिपोर्ट अनुसार भूमि रास्ता हेतु दिलाये जाने का स्वीकार किया जाकर रकबा 260 वर्गमीटर भूमि डीएलसी रेट अनुसार डीएलसी दर 306487/रू. अनुसार कीमत 7966/रू. की दुगुनी दर से राशि 15932/रू. (अक्षरे रूपये पन्द्रह हजार नौ सौ बत्तीस रू. मात्र) कीमतन का भुगतान संबंधित खातेदार को किये जाने पर उक्त भूमि रास्ते के उपयोग हेतू बिलानाम दर्ज करने की स्वीकृति दी जाकर रास्ता कायम किया जाने का आदेश दिया जाता है एवं प्रार्थी को आदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का भुगतान विपक्षी संख्या 01 को किये जाने बाबत उक्त राशि का बैंक ड्राफ्ट बनाकर भुगतान तहसीलदार रावतभाटा के मार्फत किये जाने हेतु [illegible] उक्त आदेशानुसार भुगतान हेतू संबंधित तहसीलदार को ड्राफ्ट भिजवाया [illegible] राजस्व अभिलेख में अमल हेतू तहसीलदार रावतभाटा की रिपोर्ट [illegible] निर्णय की प्रति के साथ संलग्न कर पालनार्थ तहसीलदार रावतभाटा को [illegible] जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2024.07.30 14:00:51 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 12.07.2024 को खुले न्यायालय [illegible]नाया गया। निर्णय की प्रति तहसीलदार रावतभाटा को पालनार्थ भेजी जावे।

(महेश [illegible]) R.A.S.
सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)